न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 176/21 निर्णय दिनांकः 14-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2011/00059)

1. रतन कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सतासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सुन्दरदेवी पत्नी जगदीश जाति सुथार निवासी चक 8 के.एच.एम. तहसील पूगल वर्तमान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 27—06—2011
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 27—06—2011 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 16 डीओ के मुरब्बा नम्बर 30/24 की 12 बीघा भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य 6–7 व्यक्तियों द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार को कोई नोटिस नही दिया गया। समस्त कार्यवाही पीठ पीछे बाला–बाला रूप से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमो की कतई जॉच नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 13 क (4) की पालना नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी उक्त आवंटन आदेश में मुरब्बा नम्बर 30/24 के किला नम्बरो का कोई हवाला नही दिया गया है। परन्तु जो पट्टा जारी किया गया है उसमें किला का विवरण दिया गया है जो सरासर निर्णय के विपरीत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उक्त प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 20–08–2008 को रिमाण्ड किया गया था। जब उक्त प्रकरण रिमाण्ड किया गया था तब अपीलांट का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित था। अपीलांट को बिना सूनवाई के एक्सपार्टी आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–06–2011 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 13–10–2011 को तब हुई तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर आकर उक्त भूमि को आवंटन करवाने का कथन किया। जिस पर अपीलांट द्वारा अपने पति के द्वारा उक्त आवंटन का पता लगवाकर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त नकल प्राप्त करने में 10 दिवस का समय लगा है इसलिए उक्त देरी को माफ करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट सुन्दरी देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर विशेष आवंटन में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को आवेदित भूमि चक 16 डीडी के मुरब्बा नम्बर 30/24 की 12 बीघा भूमि के लिए पात्र मानते हुए 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश प्रदान किये थे। उक्त आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट को नही होने के कारण दिनांक 02–12–2005 को रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि जमा नही करवाने के कारण रेस्पोडेन्ट का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किय गया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर में अपील दायरी की गई। जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 20–11–2008 अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट के प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड करते हुए रेस्पोडेन्ट को 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 20–11–2008 की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हुए वादग्रस्त भूमि बाबत राशि जमा करवाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त रकबा चक 16 डीडी के मुरब्बा नम्बर 30/24 की 12 बीघा भूमि अराजीराज होने, अन्य कोई विवाद नही होने, पर रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि जमा करवाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तंग व परेशान करने की गर्ज से अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम में मियाद कंडोन करने के कोई संतोषजनक कारण अंकित नही किये है। अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने पर खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण से पूर्व मियाद का बिन्दू तय किया जाना है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–06–2011 के विरूद्ध अपील दिनांक 15–11–2011 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। जिसके जवाब में कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही है। अपीलांट उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 13–10–2011 को हुई है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट ने जान बूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं की जगह गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। विधि की भी यही मंशा है कि केवल मात्र तकनीकी बिन्दु अथवा पक्षकार की अज्ञानता में कोई न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत अपील वादग्रस्त भूमि चक 16 डीडी के मुरब्बा नम्बर 30/24 की 12 बीघा भूमि का आवंटन जरिये विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने के फलस्वरूप पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुन्दरी देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर विशेष आवंटन में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को आवेदित भूमि चक 16 डीडी के मुरब्बा नम्बर 30/24 की 12 बीघा भूमि के लिए पात्र मानते हुए 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश प्रदान किये थे। उक्त आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट को नही होने के कारण दिनांक 02–12–2005 को रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि जमा नही करवाने के कारण रेस्पोडेन्ट का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किय गया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर में अपील दायरी की गई। जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बीकानेर द्वारा दिनांक 20–11–2008 अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट के प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड करते हुए रेस्पोडेन्ट को 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश प्रदान किये गये थे। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 20–11–2008 की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हुए वादग्रस्त भूमि बाबत राशि जमा करवाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त रकबा चक 16 डीडी के मुरब्बा नम्बर 30/24 की 12 बीघा भूमि अराजीराज होने, अन्य कोई विवाद नही होने, पर रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि जमा करवाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा आवेदन पत्र की फोटो प्रति) प्रस्तुत नही किया जिससे कि यह साबित होता हो कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन रकबे के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन किया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 13–06–2011 में स्पष्टतः अंकित है कि इस रकबे पर कोई विवाद नही है। उक्त रकबा आज भी अराजीराज दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत रकबे के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से इस प्रकरण में किसी भी अन्य काश्तकार द्वारा प्रश्नगत भूमि को आवंटित करवाने हेतु आवेदन किया जाना साबित नही होता है। इस सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन एकमात्र आवेदन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन भूमि का आवंटन विशेष आवंटन में किया गया। जिसमें कोई विधिक त्रुटि न होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का निर्णय दिनांक 27–06–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर